

दिल्ली विकास प्राधिकरण

[वित्त तथा व्यय]

सं. एफई.16(35)2009/ डीडीए/ 351

दिनांक: 15.5.13

एफ एवं ई परिपत्र संख्या 09/2013

शुद्धिपत्र

एफ एवं ई के दिनांक 08.01.2013 के परिपत्र संख्या 01/2013 के आंशिक आशोधन में उपर्युक्त परिपत्र में क्रम संख्या 1 पर यथोल्लिखित 3.00 लाख रुपए की अधिकतम शुल्क सीमा पर एसजी, एएसजी तथा विशेष काउंसल सलाहाकर को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन को प्रति उपस्थिति 3.00 लाख रुपए (तीन रुपए मात्र) की अधिकतम सीमा के रूप में पढ़ा जाए।

परिपत्र संख्या 01/0213 की अन्य शर्तें एवं निबंधन अपरिवर्तित रहेंगे।

इसे उपाध्यक्ष, डीडीए की सहमति से जारी किया गया है।



[मनीष कुमार]

मुख्य लेखा अधिकारी

सं. एफई.16(35)2009/डीडीए/351

दिनांक: 15-5-13

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. उपाध्यक्ष, डीडीए के ओएसडी, उपराज्यपाल के अपर सचिव, राज निवास, दिल्ली;
2. एफएम, ईएम के निजी सचिव;
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी/ मुख्य लेखा अधिकारी, डीडीए;
4. डीडीए के सभी आयुक्त/ आयुक्त-सह-सचिव/ मुख्य वास्तुविद;
5. सभी प्रमुख अभियंता;
6. सीएलए (स्थापना)/ निदेशक (मु.)-एसई एवं एनडब्ल्यू;
7. उप सीएओ (मुख्यालय)-I;
8. वरिष्ठ लेखा अधिकार (पीई)/ एओ (लेखा अधिकारी (बजट), डीडीए;
9. गार्ड फाइल/ ई.ओ. पुस्तक।
10. हिंदी अनुवाद हेतु हिंदी अधिकारी को।



लेखा अधिकारी [एफ एंड ई]

दिल्ली विकास प्राधिकरण